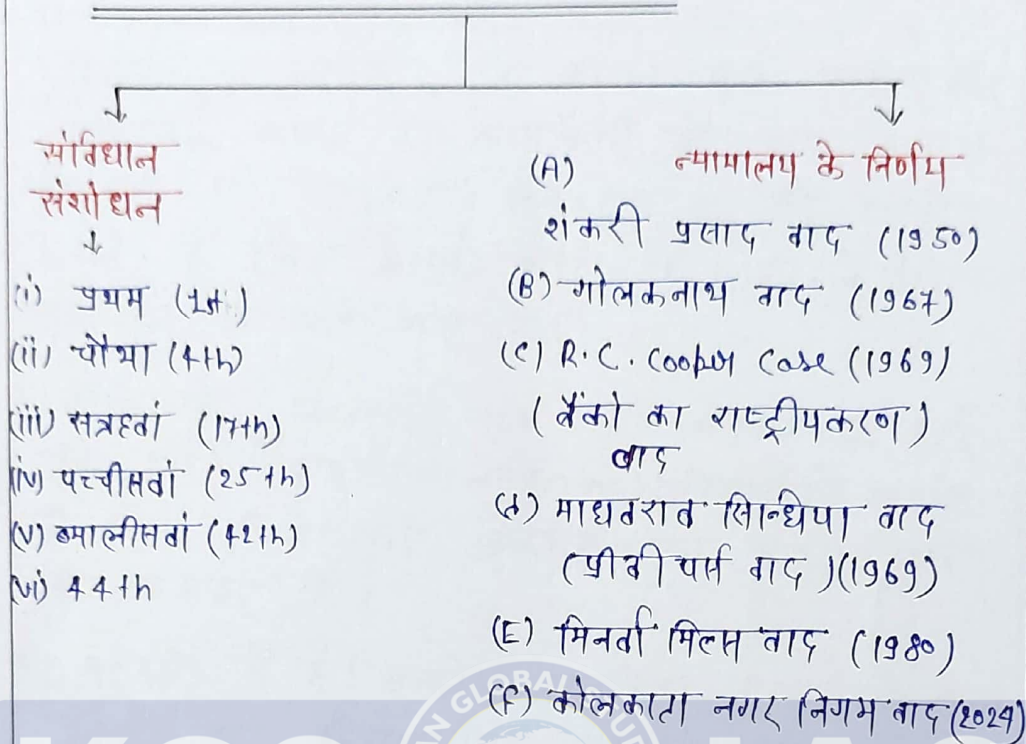


B-34 4

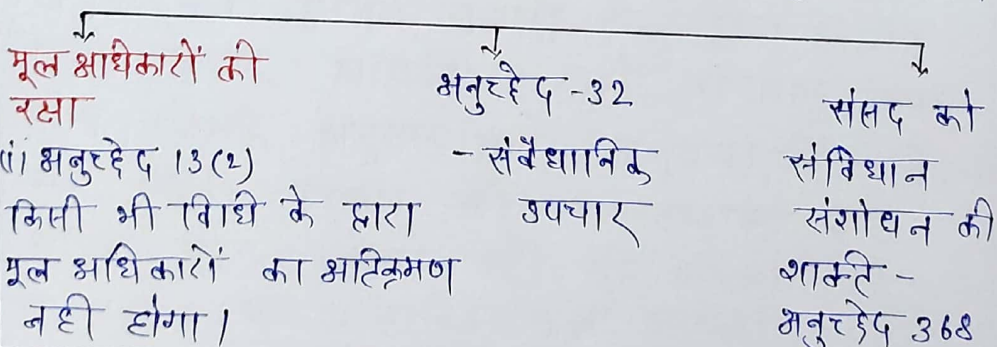
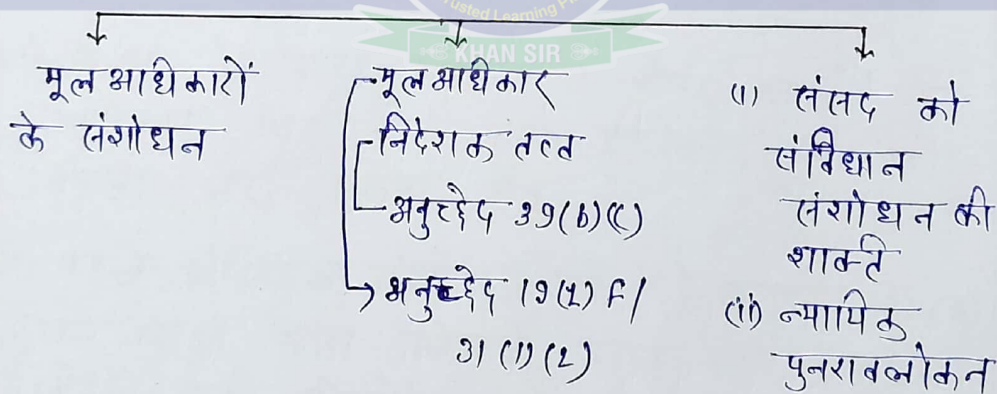
L-17

I. Polity

संपत्ति का अधिकार



मुद्रदे



संसद का मूल अधिकारों पर हमला:-

(i) सम्पत्ति के अधिकार के कारण भूमि सुधार और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों में बाधा उत्पन्न हो रही थी इसलिए अनुच्छेद 31 को सीमित करने के लिए 31(A) और 31(B) पहले संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं।

(ii) 31(A) के अन्तर्गत राज्य को शक्ति दी गई कि उसके द्वारा खान (mine), रिमाइनें, खानों के लिए दिये गए भारसेत को रद्द किया जा सकता है।

(iii) 31(A) में ही उल्लेखित किया गया कि राज्य किसी भी निगम या कॉर्पोरेट को भाषाग्रहित कर सकता है तथा दो निगमों को आपस में मिला सकता है।

(iv) राज्य के द्वारा निगमों के शेयर धारकों के अधिकार और बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर को भी बदला जा सकता है।

(v) पहले संविधान संशोधन से ही अनुच्छेद 31(B) को जोड़ा गया जिसके द्वारा नवीं अनुसूची जोड़ी गयी जिसमें राज्यों के द्वारा निर्मित भूमि सुधार अधिनियमों को संरक्षण दिया गया, जिसके अनुसार नवीं अनुसूची में रखे गए किसी विषय को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि यह भाग 3 में उल्लेखित मूल अधिकार का

विरोधी है और नवीं अनुसूची केवल भूमि सुधार अधिनियमों को बचाने के लिए जारी गयी थी।

पहला संविधान संशोधन और न्यायालय का निर्णय

1. मूल अधिकार को भाग 3 में विशेष संरक्षण प्राप्त है क्योंकि अनुच्छेद-13(2) में यह उल्लेखित है कि मूल अधिकारों के विरुद्ध राज्य किसी प्रकार की विधि का निर्माण नहीं कर सकता है। लेकिन ↓

Law (विधि) के दो प्रकार

(i) सामान्य विधि

भूमि सुधार अधिनियम

संवैधानिक

विधि

31(A)(B)

मूल अधिकारों को दीन सकता है

संविधान संशोधन विधि अथवा संवैधानिक विधि में अन्तर :-

- भारत में संसद द्वारा निर्मित विधियों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है-

- (i) संविधान संशोधन विधि
- (ii) सामान्य विधि

- संविधान संशोधन विधि संसद की संविधानी शक्ति है जिसके लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
 - संविधान संशोधन विधि के लिए लोकसभा और राज्य सभा अलग-अलग विधियों को पारित करते हैं और जिस पर राष्ट्रपति वीरो मना नहीं कर सकते।
 - जबकि सामान्य विधि^{सामान्य} संसद और विधान सभाओं के द्वारा निर्मित किया जाता है जिसके लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है।
 - सामान्य विधि के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो सकती है।
 - इस पर राष्ट्रपति भी वीरो कर सकता है।
- संसद और न्यायालय के बीच का संबंध :-

- पहले संविधान संशोधन का शंकरा प्रसाद राय में चुनौती दी गई। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने पहले संविधान संशोधन का संवैधानिक मान लिया।
- जिससे मूल अधिकारों में संशोधन का रास्ता साफ हो गया।
- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 13(2) में उल्लेखित विधि में सामान्य विधि शामिल है इसमें संशोधन विधि शामिल नहीं है।

- अतः न्यायालय ने यह मान लिया कि निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए मूल अधिकार की कठौती की जा सकती है इसीलिए सम्पत्ति के अधिकार को सीमित किया गया।
मुआवजा का मुद्दा :-

- पहले संविधान संशोधन के बाद सम्पत्ति का अधिकार सीमित कर दिया गया। इसीलिए अगला विवाद मुआवजे को लेकर उत्पन्न हो गया और उच्चतम न्यायालय ने बेल वनजी गाँव में कहा कि मुआवजा मनमानी नहीं हो सकता बल्कि यह बाजार दर पर होना चाहिए। लेकिन संसद ने जोधा संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया कि मुआवजा को निर्धारित करना न्यायालय का कार्य नहीं है अपितु यह राज्य के द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

न्यायपालिका का उर्तर्न

गौलकु नाथ गाँव (1967)

में उच्चतम न्यायालय ने अभी तक दिये गए अपने ही निर्णयों को पलट दिया और 11 न्यायधीशों की बेंच के द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए कहा -

(1) मूल अधिकार अल्पधिक पवित्र और महत्वपूर्ण हैं जिसे संविधान संशोधन द्वारा भी दीना नहीं जा सकता।

(ii) गोलकुनाघ बाद में 17वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गयी थी। न्यायपालिका ने इसे रद्द नहीं किया अपितु भाविष्य लक्षी विधि का सिद्धांत देते हुए कहा।

कि इस निर्णय के बाद किसी भी मूल अधिकार को छीना नहीं जा सकता।

(iii) उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 13 (3) में उल्लेखित विधि में संविधान संशोधन विधि भी शामिल है। जिसका यह अर्थ है कि अनुच्छेद 368 में केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया है संविधान संशोधन की शक्ति नहीं है।

- सामान्य विधि निर्माण की शक्ति और संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद - 245 अथवा अनुच्छेद - 246 से प्राप्त होती है।